# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | मोहन लाल बनाम प्रेम देवी<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1543/2025<br>पत्रावली प्रस्तुत हुई \| अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित \| अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी \| पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/04/2026 को पेश हो \| | |
| 06/04/2026 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई \| संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर आदेश दिनांक 13/06/2022 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया \| तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09/09/2025 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को ता-फैसला मूल वाद अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया \| जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी \| जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी \|<br>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया \| उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीयां/रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अपनी पैतृक भूमि के सन्दर्भ में घोषणा हेतु मूल वाद पेश किया गया है एवं पैतृक सम्पत्ति के सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकारी कानून के तहत विधिक वारिसान का जन्म से अधिकार निहित होता है \| ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में यथास्थिति का आदेश एक उचित आदेश प्रतीत होता है ताकि विवादग्रस्त भूम वाद के निस्तारण तक खुर्द-बुर्द न हो एवं प्रकरण में अनावश्यक पेचीदगीयां उत्पन्न नही हो \| ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है \| अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है \|<br>अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09/09/2025 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है \|<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो \|<br>निर्णय आज दिनांक 06/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया \| | |